राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्र.सं. : वित्त प्रकोष्ठ/2011–12/410 दिनांक : 23-11-2011

विषय :– भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम–1996 एवं केन्द्रीय नियम, 1998 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण/जमा कराये जाने बाबत।

–:: परिपत्र ::–

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम–1996 एवं केन्द्रीय नियम 1998 के अन्तर्गत निर्माण कार्यो की लागत का उपकर 1% कटौती कर भवन एवं संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु (वेलफेयर सैस) श्रम विभाग द्वारा द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार निर्धारित बैंक में जमा करवाने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक वित्त प्रकोष्ठ/2010–11/371 दिनांक 21.01.2011 के द्वारा मण्डल को सभी इकाईयों को निर्देशित किया गया था। उक्त अधिनियम की पालना करने हेतु सुनिश्चित किया गया था तथा इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक वित्त प्रकोष्ठ/2010–11/425 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा उपकर नियमित रूप से जमा कराने हेतु प्रपत्र भेजे गये थे। उक्त अधिनियम की पालना में आपके अधीन निर्माण कार्यो की लागत का 1% उपकर की कटौती की कराने के पश्चात वांछित सूचना सम्बन्धित संयुक्त श्रम आयुक्त को भिजवाई जाना सुनिश्चित करावे तथा प्रगति से इस कार्यालय को सूचित करावें। इसके अतिरिक्त संलग्न प्रारूप के अनुसार वांछित सूचना 10 दिवस में मुख्यालय में प्रेषित करावे, ताकि प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण विभाग), राजस्थान सरकार को प्रगति से अवगत कराया जा सके।

संलग्न :– सैस राशि का विवरण पत्र का प्रारूप।

वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी

Contd...-2

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त .....
4. वरिष्ठ निजी सहायक–सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सहायक–वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी–I/II/III/IV & V, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड .....
7. कार्यालय प्रति।

वि॰ स॰ एवं मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त/खण्ड .....

भवन एव अन्य संनिर्माण कल्याण उपकर अधिनियम–1996 एवं केन्द्रीय नियम 1998 के अन्तर्गत निर्धारण/जमा कराये जाने बाबत्।

(दिनांक 27.07.2009 से माह जुलाई 2011 तक उपकर कटौती काट कर भेजी गई राशि का विवरण)

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	उपकर की काटी गई राशि का विवरण 1%			सहायक श्रम आयुक्त को विवरण भेजने का पत्रांक/दिनांक
		उपकर	माह	बैंक में भेजने की दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)